संख्या : 1882/चौवालिस–2/1992

प्रेषक,

श्री महेश कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपतक्रमों/निगमों के प्रबन्ध
निदेशक मुख्य कार्यकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 3 दिसम्बर, 1992

विषय :– बैकों में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में यह बात आई है कि राज्य के कई सार्वजनिक उद्यमों/निगमों द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों अथवा निजी सहकारी बैंकों में धनराशि जमा कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत निगमों/निकायों के आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन के सम्बन्धित आर्टिकिल्स तथा उ० प्र० सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ० प्र० अधिनियम संख्या–41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह निदेश देते हैं कि सभी निगमों/उपक्रमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि निजी क्षेत्र के बैंकों अथवा निजी सहकारी बैंकों, में किसी भी निगम/उपक्रम का कोई खाता अवशेष न रहे।

3- कृपया इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
[महेश कुमार गुप्ता]
संयुक्त सचिव।

संख्या–1882 (i)/चौवालिस–2/1992 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिकउद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग–1

आज्ञा से,
[महेश कुमार गुप्ता]
संयुक्त सचिव।